



**BULANDSHAHR POLICE**



**दिनांक 15 जुलाई 2024**

**"ऑपरेशन कन्विकशन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गैंगस्टर के आरोपी को 05 वर्ष का कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-**

अवगत कराना है कि अभियुक्त सुन्दर पुत्र दौलतराम निवासी ग्राम समसपुर थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा संगठित गिरोह बनाकर हत्या, हत्या का प्रयास व लूट जैसे समाजविरोधी क्रियाकलाप कारित कर समाज में भय व आतंक व्याप्त करने जैसी दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 21.02.2007 को थाना अहमदगढ़ पर मुअसं- 25/2007 धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 27.12.2007 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विकशन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 15.07.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे-08 स्पेशल गैंगस्टर एक्ट जनपद बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सुन्दर को 05 वर्ष का कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री योगेश कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

**अभियुक्त सुन्दर का आपराधिक इतिहास-**

1. मुअसं-457/03 धारा 307,302 भादवि थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर ।
2. मुअसं-504/03 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं-263/04 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं-610/04 धारा 307 भादवि थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर ।
5. मुअसं-650/04 धारा 392,411 भादवि थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर ।
6. मुअसं-219/04 धारा 307 भादवि थाना खुर्जा देहात जनपद बुलन्दशहर ।
7. मुअसं-206/06 धारा 302,307,504,506 भादवि थाना अहमदगढ जनपद बुलन्दशहर।
8. मुअसं-207/06 धारा 307 भादवि थाना अहमदगढ जनपद बुलन्दशहर।
9. मुअसं-208/06 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना अहमदगढ जनपद बुलन्दशहर।
10. मुअसं- 25/2007 धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना अहमदगढ जनपद बुलन्दशहर।

**मीडिया सेल बुलन्दशहर**